कार्यालय– अंचल अधिकारी, गढ़वा।

पत्रांक ....1195...../ दिनांक..10/12/2019

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,

गढ़वा

सेवा में,

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,

गढ़वा।

विषयः– विविध वाद (लगान निर्धारण) संख्या 11/2016–17 में श्रीमती शोभा पाठक पति–वासुकीनाथ पाठक में स्वीकृत मूल अभिलेख में पुनः जांचोपरान्त त्रुटि निराकरण के पश्चात मूल अभिलेख का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विविध वाद (लगान निर्धारण) संख्या 11/2016–17 में श्रीमती शोभा पाठक पति–वासुकीनाथ पाठक में स्वीकृत मूल अभिलेख में पुनः जांचोपरान्त त्रुटि निराकरण के पश्चात मूल अभिलेख इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलंग्नकः– विविध वाद संख्या–11/2016–17 का मूल अभिलेख क्र0सं0 01 से 25 तक कुल–25 पन्ना

विश्वासभाजन

10/12/19

अंचल अधिकारी

गढ़वा

12-12-19

O/C

(देखो अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 128)

आदेश ता0 .... / से .... / तक

जिला गढ़वा विविध वाद संख्या ......11...... / ...... / वर्ष 2016-17

केश का प्रकार :- लगान निर्धारण

	आदेश और पदाधिकारी के हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
20.5.16 28.6.16	श्री/मति ...शोभा पाठक... / w/o पति श्री ...बाबूनाथ पाठक... ग्राम ...बेलचम्पा... / थाना ...गढ़वा... / जिला ...गढ़वा... ने ग्राम ...बेलचम्पा... / में स्थित भूमि का खा0 सं0 / जमाबंदी कायम / लगान निर्धारण हेतु आवेदन किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है:- **भूमि का विवरण** ग्राम / थाना — खाता सं0 — प्लॉट सं0 — रकबा — माल बेलचम्पा 283 — 01 — 399 — 0.40 — 2.00 — 01 — 399 — 0.40 कुल रकबा: 0.80 ए0 उक्त आवेदन पत्र जाँच हेतु हल्का कर्मचारी को भेजें तथा जाँच प्रतिवेदन अं0नि0 के माध्यम दिनांक 19-06-16 / तक मांग करें। अभिलेख उसी तिथि तक प्रस्तुत करें। ह0 / 20/05 अंचल अधिकारी, गढ़वा	
29.6.16	अभिलेख प्रस्तुत किया गया। हल्का कर्मचारी ने राजस्व कागजातों से मिलान करके जाँच प्रतिवेदन अं0नि0 के माध्यम से समर्पित किया है जिसका अवलोकन किया। अतः आवेदन भूमि का एक आम इस्तहार निर्गत करें तथा दिनांक 11-7-16 / तक आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 12-7-16 को रखें। ह0 / 29/06 अंचल पदाधिकारी, गढ़वा	

Scanned with CamScanner

अभिलेख उपस्थापित किया गया। यह अभिलेख आवेदक के आवेदन पत्र पर प्राप्त किया गया है आम इश्तेहार का ताकिला अवधि के अन्दर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं कराया गया है हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित प्रस्ताव का अवलोकन किया। आवेदक के आवेदन पत्र पर राजस्व अभिलेख से मिलान स्थलीय जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है प्रतिवेदनानुसार AR Case/5/79-80 बनाम श्री उपाध्याय ग्राम - वेलचम्पा के नाम लगान निर्धारण अभिलेख की छाया प्रति के साथ दिये हैं परन्तु AR Case No-15/79-80 के अंतिम आदेश दिनांक 24-10-91 के प्रमाणित उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर ने स्वीकृति की अनुशंसा की है उक्त आदेश के आलोक में आवेदिका श्रीमती पाठक ग्राम - वेलचम्पा के रजि० केवाला नं० 1182/7-3-14 एवं 1188/8-23-14 के द्वारा श्री ... उपाध्याय पिता ... उपाध्याय से खरीदगी दाखिल-खारिज हेतु आवेदन दिये थी क्रय की हुई भूमि खाता 01 प्लॉट नं० 399 - रकबा 0.40 डी० भूमि पर क्रेता का दखल कब्जा है उक्त भूमि - ... एवं बन्दोबस्त से बाहर है।

अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित भूमि का लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा की जाती है।

भूमि का विवरण

रैयत का नाम	ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा	कुल-लगान
श्री० पाठक	वेलचम्पा	01	399 -	0.40	2.40
... पाठक		01 -	399 -	0.40 -	
...					

उक्त भूमि का वार्षिक लगान जमींदारी उन्मूलन की तिथि से प्रभावकारी होगा।

अभिलेख स्वीकृति हेतु उपसमाहर्ता भूमि सुधार ... को भेजा जाय।

... को आदेशित ...

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | 2 | आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

2 | 3

...लेख उपस्थापित किया गया। उप समाहर्त्ता, गढ़वा के पत्रांक–155 दिनांक–02.07.2019 द्वारा विविध वाद (लगान निर्धारण) संख्या–11/2016–17 शोभा पाठक पति–बासुकीनाथ पाठक का मूल अभिलेख. त्रुटि निराकरण हेतु प्राप्त हुआ हैं।

विविध वाद (लगान निर्धारण) संख्या–11/2016–17 शोभा पाठक पति–बासुकीनाथ पाठक का प्राप्त मूल अभिलेख के आलोक में अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग करें।

अंचल अधिकारी,
गढ़वा

10/12/19

अभिलेख उपस्थापित किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्रश्नगत भूमि का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम–बेलचम्पा के खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–399 रकबा–0.80 एकड़ है जो केवाला द्वारा श्रीकान्त उपाध्याय पिता–स्व0 नन्दकिशोर उपाध्याय से श्रीमती शोभा पाठक पति–श्री बासुकीनाथ पाठक खरीद किये हैं। आवेदित भूमि बकास्त खाते की भूमि है। (खतियान संलग्न है।) ग्राम–बेलचम्पा के खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–399 रकबा–1.17 एकड़ सहित कुल रकबा–1.39 एकड़ भूमि का माल निर्धारण हेतु A.R. Case No. 15/1979–80 के द्वारा तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा अग्रसारित किया गया था परन्तु अंतिम रूप से आदेश पारित नही हो सका था तथा एम0 रॉल भी नहीं बना था यह प्रस्ताव श्री उपाध्याय के नाम से बना था। श्रीकान्त उपाध्याय पिता–स्व0 नन्दकिशोर उपाध्याय के नाम से हाल सर्वे का बंडा पर्चा अभिलेख में संलग्न है। आवेदित भूमि भूत पूर्व जमीनदार श्री गिरवर नारायण प्रसाद सिंह रंका राजा द्वारा श्री उपाध्याय को बंदोबस्ती किया है परन्तु रिर्टन का कॉपी उपलब्ध नहीं हैं। विक्रेता श्रीकान्त उपाध्याय श्री उपाध्याय का वंशज हैं। आवेदित भूमि पर आवेदिका श्रीमती शोभा पाठक पति–बासुकीनाथ पाठक दखलकार हैं।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु ......अनुशंसा......की जाती हैं।

अभिलेख उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
गढ़वा।

अंचल अधिकारी
गढ़वा।